अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

प्रस्तावना

2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन हेतु की जाती है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पीएसयू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है।

सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा

2.1.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा के अधिदेश

2.1.2 सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों[1] की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति करते हैं एवं उन तरीकों पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली

---

[1] राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनियाँ (कठिनाइयों का निवारण), सातवाँ आदेश, 2014।

संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं इस अध्याय में इनकी व्याप्ति

2.1.3 31 मार्च 2022 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम[2]), 42 अकार्यरत पीएसयू[3] सम्मिलित थे। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, एक सरकारी कम्पनी अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को हटा दिया गया क्योंकि यह कम्पनी बन्द हो गयी है। राज्य के कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

इस अध्याय में 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 37 पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू, जिनका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है) के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में 77 पीएसयू (70 सरकारी कम्पनियाँ, चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम सहित) के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण शामिल नहीं हैं क्योंकि इनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.2** में वर्णित है। हालाँकि, यह अध्याय राज्य के सभी पीएसयू के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश, बजटीय सहायता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान **(प्रस्तर 2.2, 2.2.2 एवं 2.2.2.1)** को सम्मिलित करता है।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर

2.1.4 पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, ये पीएसयू राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। पीएसयू के टर्नओवर से जीएसडीपी का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयू की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2022[4] को समाप्त चार वर्ष की अवधि के लिए पीएसयू के टर्नओवर (**परिशिष्ट-2.1** में पीएसयू-वार विवरण) एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है।

---

[2] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[3] अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपना संचालन बन्द कर दिया हैं।

[4] 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

तालिका 2.1: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू का टर्नओवर	61,857	66,378	67,006	68,932
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू का टर्नओवर	7,245	6,930	7,227	7,257
कुल टर्नओवर (37 पीएसयू)	**69,102**	**73,308**	**74,233**	**76,189**
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी[5]	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	3.91	3.90	4.06	3.70
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.46	0.41	0.44	0.39
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत	-	7.31	0.95	2.87
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत	-	(-)4.35	4.29	0.42
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन का प्रतिशत	-	7.46	(-)3.04	13.02

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जीएसडीपी आँकड़ों एवं पीएसयू के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के टर्नओवर में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 0.95 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत के मध्य वृद्धि के साथ बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू के टर्नओवर में वर्ष 2019-20 के दौरान 4.35 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः 4.29 प्रतिशत एवं 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में 2020-21 के दौरान 3.04 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः 7.46 प्रतिशत एवं 13.02 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है।

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दीर्घकालिक अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 5.60 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष 37 पीएसयू के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 3.31 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू के टर्नओवर की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 3.91 प्रतिशत से 3.70 प्रतिशत एवं 0.46 प्रतिशत से 0.39 प्रतिशत हो गयी।

[5] वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मानकों का प्रतिशत अनुपात/उछाल जो कि पूर्व की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है को भी संशोधित किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

2.2 31 मार्च 2022 को 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और छः सांविधिक निगम) में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य[6] द्वारा निवेशित पूँजी को **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों और सांविधिक निगमों में निवेश की संरचना

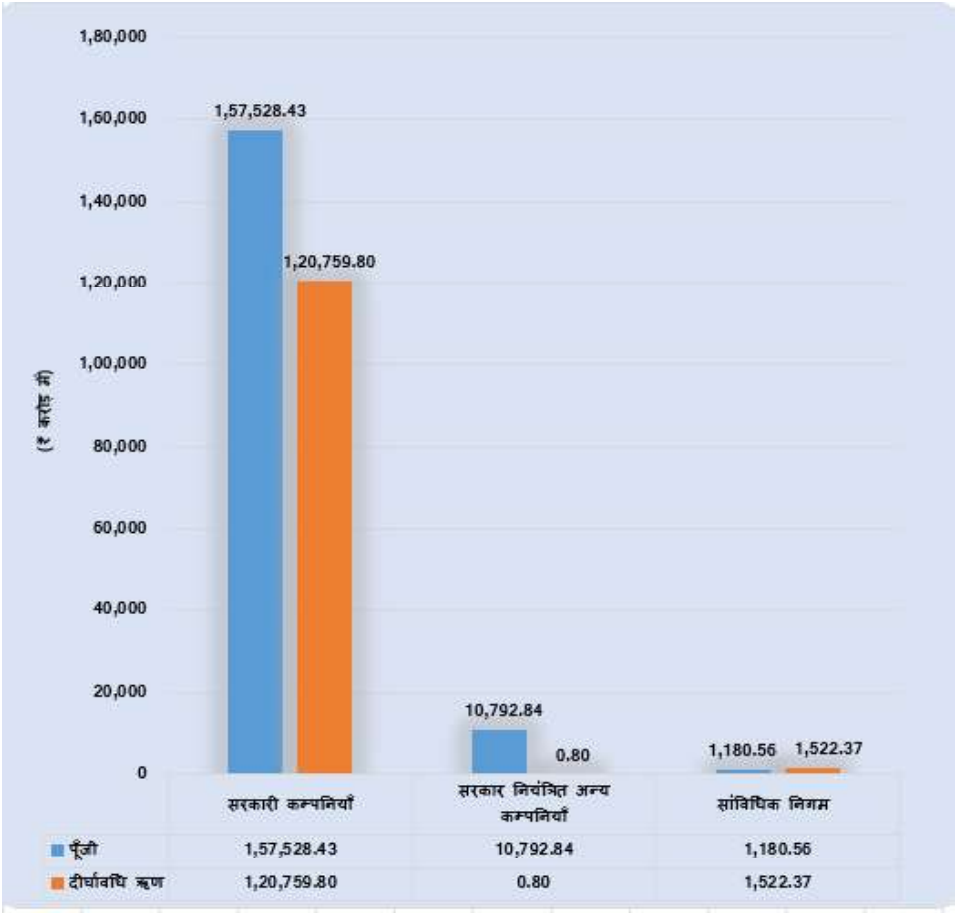

31 मार्च 2022, को 114 राज्य पीएसयू में क्षेत्र-वार निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका 2.2** में दिया गया है।

[6] अन्य में होल्डिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

तालिका 2.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				
		उ.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	उ.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	
अ. पीएसयू जिन्होंने अपने लेखे 2019-20 तक अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किये (परिशिष्ट-2.3)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	11	1,45,389.99	0.00	2,213.43	1,47,603.42	433.92	0.00	1,04,361.55	1,04,795.47	2,52,398.89
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	26	6,994.10	3,144.42	6,501.26	16,639.78	2,582.62	7,582.83	1,528.85	11,694.30	28,334.08
योग अ	**37**	**1,52,384.09**	**3,144.42**	**8,714.69**	**1,64,243.20**	**3,016.54**	**7,582.83**	**1,05,890.40**	**1,16,489.77**	**2,80,732.97**
ब. पीएसयू जिनके लेखे 31 मार्च 2022 को तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे (परिशिष्ट -2.2)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	75	3,970.81	605.99	679.56	5,256.36	2,582.20	12.27	3,198.73	5,793.20	11,049.56
योग ब	**77**	**3,970.81**	**605.99**	**681.83**	**5,258.63**	**2,582.20**	**12.27**	**3,198.73**	**5,793.20**	**11,051.83**
महायोग (अ + ब)	**114**	**1,56,354.90**	**3,750.41**	**9,396.52**	**1,69,501.83**	**5,598.74**	**7595.10**	**1,09,089.13**	**1,22,282.97**	**2,91,784.80**

स्रोतः वार्षिक लेखों एवं पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में सम्मिलित 11 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,52,398.89 करोड़ था। निवेश में 58.48 प्रतिशत पूँजी एवं 41.52 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 433.92 करोड़), कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.41 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.59 प्रतिशत (₹ 1,04,361.55 करोड़) वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था, जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-2.3** में है।

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में सम्मिलित 26 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 28,334.08 करोड़ था। निवेश में 58.73 प्रतिशत पूँजी एवं 41.27 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित था। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 2,582.62 करोड़), कुल दीर्घावधि ऋणों का 22.08 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 77.92 प्रतिशत (₹ 9,111.68 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था, जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-2.3** में है।

ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए सम्पत्ति की पर्याप्तता

2.2.1 कुल ऋण का कुल सम्पत्ति से अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले मापदंडों में से एक है कि क्या कोई कम्पनी शोधनक्षम रह सकती है। शोधनक्षम माने जाने के लिए, इकाई की सम्पत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 21 पीएसयू (18 सरकारी कम्पनियाँ, दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) जिनमें अदत्त ऋण था, में दीर्घावधि ऋणों का कुल सम्पत्ति के मूल्य से व्याप्ति **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है और इसका संक्षिप्त विवरण **तालिका 2.3** के अन्तर्गत दिया गया है।

तालिका 2.3: दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति

	पीएसयू की संख्या	सकारात्मक व्याप्ति			नकारात्मक व्याप्ति			ऋण के लिए सम्पत्ति का प्रतिशत
		दीर्घावधि ऋण	सम्पत्ति	ऋण के लिए सम्पत्ति का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	सम्पत्ति	
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सरकारी कम्पनियाँ	18	1,16,771.52	3,02,554.31	259.10	-	-	-	-
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2	3,607.51	3,633.47	100.72	-	-	-	-
सांविधिक निगम	1	35.00	3,152.03	9,005.80	-	-	-	-
योग	**21**	**1,20,414.03**	**3,09,339.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

यद्यपि सभी 21 पीएसयू में सकारात्मक व्याप्ति थी, जबकि दो पीएसयू यथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड के कुल बकाया दीर्घावधि ऋण के सापेक्ष सम्पत्ति व्याप्ति क्रमशः 100.09 प्रतिशत एवं 106.17 प्रतिशत था जो इंगित करता है कि कोई भी अतिरिक्त ऋण इन पीएसयू की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

2.2.2 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए पीएसयू के सम्बन्ध में बजटीय बहिर्गमन (पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	धनराशि[7] (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
अंशपूँजी बहिर्गमन (i)	3[8]	8,248.83	3[8]	10,568.47	3[8]	10,874.05
दिए गए ऋण (ii)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	19,065.56	2	10,349.30	2	22,432.27
कुल सहायता (i+ii+iii)	**3[9]**	**27,314.39**	**3[9]**	**20,917.77**	**3[9]**	**33,306.32**

[7] धनराशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन का प्रतिनिधित्व करती है।

[8] उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु पूँजी अवमुक्त करती है। अतः पूँजी के निवेश के उद्देश्य से, केवल होल्डिंग कम्पनियों पर, उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से, विचार किया गया है।

[9] यह आँकड़ा उन पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं जिन्हें एक या अधिक मद यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के तहत बजट से भुगतान प्राप्त हुआ है।

विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	धनराशि[7] (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
अंशपूँजी बहिर्गमन (i)	4[8]	288.63	7[8]	529.13	8[8]	808.92
दिए गए ऋण (ii)	8	403.32	6	1,673.16	5	330.01
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	17	712.21	18	1,462.46	19	2,498.09
कुल सहायता (i+ii+iii)	**27[9]**	**1,404.16**	**25[9]**	**3,664.75**	**26[9]**	**3,637.02**
महायोग (अ) + (ब)	**30**	**28,718.55**	**28**	**24,582.52**	**29**	**36,943.34**

स्रोतः वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेशों और पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित संकलित आँकड़े

मार्च 2022 को समाप्त हुए विगत तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 2.2** में दिया गया है।

चार्ट 2.2: पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के सापेक्ष बजटीय बहिर्गमन

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य पीएसयू को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक बजटीय सहायता का 85 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक का बड़ा भाग ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को प्राप्त हुआ था। 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 33,306.32 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 10,874.05 करोड़ एवं ₹ 22,432.27 करोड़ पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में थी।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुदान/सब्सिडी में, विगत वर्षों की तुलना में 2020-21 में 46 प्रतिशत की कमी एवं 2021-22 में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान अनुदान/सब्सिडी में कमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्व अनुदान सहायता में कमी की वजह से जो 2019-20 में

₹ 6,302.57 करोड़ से 2020-21 में ₹ 621.65 करोड़ होने के कारण तथा 2021-22 के दौरान अनुदान/सब्सिडी में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्व अनुदान सहायता में वृद्धि जो 2020-21 में ₹ 9,657.17 करोड़ से 2021-22 में ₹ 21,888.16 करोड़ होने के कारण था।

2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य पीएसयू को उ.प्र. सरकार की कुल वार्षिक बजटीय सहायता में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य पीएसयू की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ₹ 2,498.09 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी में से, मुख्य रूप से अनुदान आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 782.50 करोड़), उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 322.84 करोड़), नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 320.65 करोड़) एवं उ.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 235 करोड़) को प्रदान किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

2.2.2.1 राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आँकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े समानता नहीं खाते है तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2022 को 74 पीएसयू (57 सरकारी कम्पनियाँ, 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और पाँच सांविधिक निगम) के सम्बन्ध में ऐसे अंतर विद्यमान थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दिया है एवं **तालिका 2.5** में संक्षेपित है।

तालिका 2.5: राज्य पीएसयू के अभिलेखों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के सम्बन्ध में	क्षेत्र	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
पूँजी	ऊर्जा क्षेत्र	1,47,605.28	1,32,877.22	14,728.06
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	10,910.65	6,108.80	4,801.85
	योग	**1,58,515.93**	**1,38,986.02**	**19,529.91**
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	433.92	516.82	(-)82.90
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	5,164.81	3,474.41	1,690.40
	योग	**5,598.73**	**3,991.23**	**1,607.50**
प्रत्याभूतियाँ	ऊर्जा क्षेत्र	1,21,555.08	1,29,374.07	(-)7,818.99
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	389.84	634.47	(-)244.63
	योग	**1,21,944.92**	**1,30,008.54**	**(-)8,063.62**

स्रोतः पीएसयू एवं वित्त लेखाओं से प्राप्त सूचनाएं

आँकड़ो के अन्तर विगत वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ इस मामले को

समय-समय पर उठाया गया है। तीन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू[10] और पाँच ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू[11] के मामलों में शेष राशियों में बड़ा अन्तर देखा गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिफल

लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2.3.1 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू[12] द्वारा अर्जित लाभ को **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ

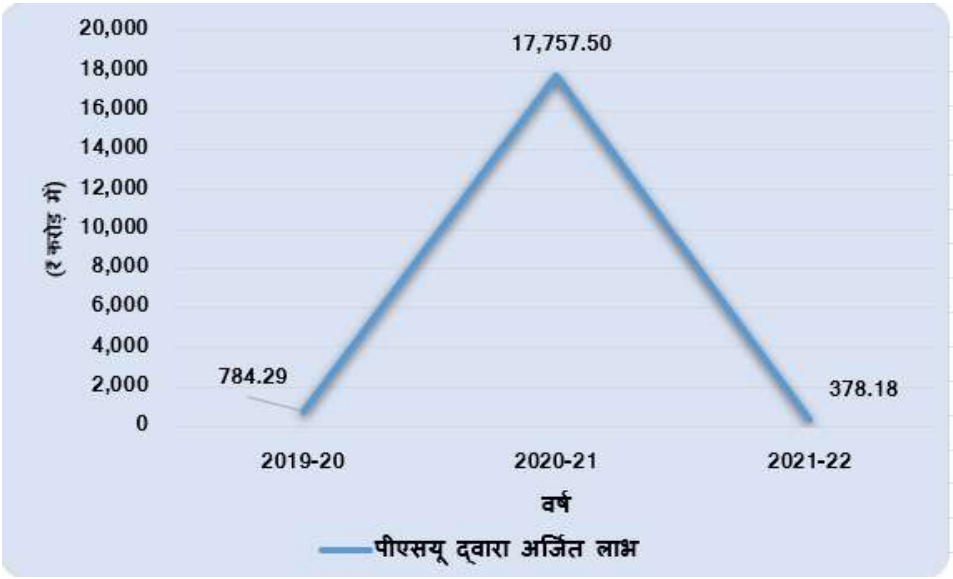

2019-20 से 2020-21 के दौरान 37 पीएसयू में से, 17 पीएसयू ने लाभ अर्जित किया। 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू की संख्या घटकर 16 हो गयी। लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 784.29 करोड़, ₹ 17,757.50 करोड़ एवं ₹ 378.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ₹ 17,381.56 करोड़ की धनराशि के अशोधक ऋणों के प्रावधान को राइट बैक करने के कारण लाभ में असाधारण वृद्धि हुई। पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 142.70 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 105.16 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे **(परिशिष्ट-2.1)**।

---

[10] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[11] उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

[12] 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

लाभांश का भुगतान

2.3.2 राज्य सरकार ने लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की जिसके अन्तर्गत लाभ में चल रहे पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी अंशपूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है।

पीएसयू जिसमें उ.प्र. सरकार द्वारा अंशपूँजी का निवेश किया गया था, के द्वारा 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान लाभांश के भुगतान को **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयू जहां उ.प्र. सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू		पीएसयू जिनके द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदत्त किया गया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयू की संख्या	उ.प्र. सरकार द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	उ.प्र. सरकार द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	पीएसयू द्वारा लाभांश की घोषणा/प्रदत्त (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5 x 100)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू							
2019-20	4	1,26,160.55	2	30,776.70	-	-	-
2020-21	4	1,34,515.87	2	1,02,660.29	-	-	-
2021-22	4	1,45,389.99	-	-			
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू							
2019-20	9	2,387.35	4	995.72	2[13]	0.04	0.004
2020-21	3	1,678.48	2	0.48	1[14]	0.02	4.17
2021-22	4	2,641.42	2	107.05	-	-	-

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2019-20 में तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2020-21 में लाभ में चल रहे थे। हालाँकि, इन कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार को कोई भी लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया था। ऊर्जा क्षेत्र के सात पीएसयू ने वर्ष 2021-22 हेतु अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया लेकिन सभी घाटे में चल रहे थे।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू की संख्या दो से लेकर चार के मध्य थी। 2019-20 के दौरान, दो पीएसयू एवं 2020-21 के दौरान एक पीएसयू ने उत्तर प्रदेश सरकार को लाभांश घोषित/प्रदत्त किया। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त दो पीएसयू यथा आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने अर्जित लाभ को

[13] उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[14] उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

अन्तिमीकृत किया, हालाँकि कम्पनी द्वारा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया। लाभांश भुगतान अनुपात 2019-20 में 0.004 प्रतिशत एवं 2020-21 में 4.17 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण शोधन)

2.4 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू के दीर्घावधि ऋणों जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की ब्याज देयताएं थीं, का विश्लेषण पीएसयू द्वारा धारित ऋणों के भुगतान की क्षमता का आंकलन करने के लिए किया गया। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

2.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्ययों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज के व्ययों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयू जिनमें 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, से सम्बन्धित ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज के दायित्व वाले पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	पीएसयू के प्रकार	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	6,892.20	3,776.62	8	2	6
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	8,008.39	2,625.34	8	2	6
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	10,174.48	3,202.78	8	1	7
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	85.21	-257.69	4	1	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.04	-0.93	1	-	1
	सांविधिक निगम	1.12	143.82	1	1	-
	योग	**86.37**	**-114.80**	**6**	**2**	**4**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	107.92	-298.78	4	1	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.06	-1.46	1	-	1
	सांविधिक निगम	1.12	143.82	1	1	0
	योग	**109.10**	**-156.42**	**6**	**2**	**4**

वर्ष के दौरान	पीएसयू के प्रकार	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	107.43	-300.93	4	1	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.06	-1.46	1	-	1
	सांविधिक निगम[15]	1.12	143.82	1	1	-
	योग	**108.61**	**-158.57**	**6**	**2**	**4**

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऋणों पर ब्याज देयता के दायित्व वाले आठ पीएसयू में से, 2019-20 एवं 2020-21 में केवल दो पीएसयू[16] और 2021-22 में एक पीएसयू[17] का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष छः/सात पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात नकारात्मक/एक से कम था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूर्ण करने तक के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः पीएसयू जिनमें ऋण की देयता थी, में से केवल दो पीएसयू[18] में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था। चार पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

2.4.2 31 मार्च 2022 तक, उ.प्र. सरकार द्वारा पाँच पीएसयू को प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 559.40 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयू में उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

[15] चूँकि वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक निगमों का कोई लेखा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सांविधिक निगमों का वित्तीय निष्पादन वर्ष 2020-21 के समान ही माना गया है।

[16] 2019-20 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा 2020-21 में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[17] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

[18] श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

तालिका 2.8: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	31 मार्च 2022 तक ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	1 से 3 वर्षों का बकाया	3 वर्षों से अधिक का बकाया
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू				
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	246.56	10.59	21.19	214.78
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	185.76	47.77	100.83	37.16
उप योग (I)	**432.32**	**58.36**	**122.02**	**251.94**
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू				
दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	34.63	0.00	0.00	34.63
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53.62	2.16	6.47	44.99
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	38.83	4.99	13.29	20.55
उप योग (II)	**127.08**	**7.15**	**19.76**	**100.17**
महायोग	**559.40**	**65.51**	**141.78**	**352.11**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 559.40 करोड़ की कुल ब्याज धनराशि में से ₹ 352.11 करोड़ तीन वर्ष से अधिक से बकाया है, जो यह दर्शाता है कि ये पीएसयू नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन दक्षता

पीएसयू में नियोजित पूँजी एवं कुल सम्पत्ति के सापेक्ष टर्नओवर

2.5.1 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी का विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: ऊर्जा क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का टर्नओवर, सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूँजी
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	11	66,378.02	3,29,501.90	30,223.19
2020-21		11	67,006.25	4,10,377.35	1,14,120.68
2021-22		11	68,931.87	4,15,720.42	1,03,215.16
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	12	1,649.72	19,021.88	11,303.26
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	24.27	6,323.37	5,213.71
	सांविधिक निगम	3	5,256.32	24,607.56	6,713.79
	योग	**26**	**6,930.31**	**49,952.81**	**23,230.76**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	12	1,524.07	20,648.45	12,617.31
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	21.73	7,169.27	5,413.34

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूँजी
	सांविधिक निगम	3	5,681.08	25,110.76	6,875.25
	योग	**26**	**7,226.88**	**52,928.48**	**24,905.90**
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	12	1,553.97	24,937.36	16,098.88
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	21.73	7,377.37	5,413.35
	सांविधिक निगम	3	5,681.08	25,110.76	6,875.25
	योग	**26**	**7,256.78**	**57,425.49**	**28,387.48**
2019-20	**सभी पीएसयू**	**37**	73,308.33	3,79,454.71	53,453.95
2020-21	**सभी पीएसयू**	**37**	74,233.13	4,63,305.83	1,39,026.58
2021-22	**सभी पीएसयू**	**37**	76,188.65	4,73,145.91	1,31,602.64

अध्याय में सम्मिलित 37 पीएसयू में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में टर्नओवर एवं कुल सम्पत्ति में वृद्धि थी जबकि नियोजित पूँजी में कमी थी। टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी का पीएसयू-वार विवरण **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 से 2021-22 में टर्नओवर एवं कुल सम्पत्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जबकि नियोजित पूँजी में 2020-21 में वृद्धि एवं 2021-22 में कमी थी। टर्नओवर में वृद्धि मुख्य रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में हुई, जबकि कुल सम्पत्ति में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुई। 2020-21 में नियोजित पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में थी, जबकि 2021-22 में नियोजित पूँजी में कमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्षों की तुलना में 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गयी है। कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल संपत्ति के साथ-साथ नियोजित पूँजी में वृद्धि के कारण हुई, जबकि टर्नओवर में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के टर्नओवर में वृद्धि के कारण हुई।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2.5.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[19] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) के आरओसीई का विवरण **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू			
2019-20	619.76	30,223.19	2.05
2020-21	14,826.12	1,14,120.68	12.99
2021-22	-5,101.75	1,03,215.16	(-)4.94

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल आरओसीई (-) 4.94 प्रतिशत एवं 12.99 प्रतिशत के मध्य था। 2020-21 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का आरओसीई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईबीआईटी में वृद्धि के कारण बढ़ा। 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का आरओसीई कम हो गया, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ईबीआईटी में कमी है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, एवं तीन सांविधिक निगम) के आरओसीई का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	(-)179.35	11,303.26	(-)1.59
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	28.97	5,213.71	0.56
	सांविधिक निगम	195.37	6,713.79	2.91
	योग	**44.99**	**23,230.76**	**0.19**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	(-)229.66	12,617.31	(-)1.82
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2.92	5,413.34	0.05
	सांविधिक निगम	277.47	6,875.25	4.04
	योग	**50.73**	**24,905.90**	**0.20**
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	(-)232.41	16,098.88	(-)1.44
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2.92	5,413.35	0.05
	सांविधिक निगम	277.47	6,875.25	4.04
	योग	**47.98**	**28,387.48**	**0.17**

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

[19] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल आरओसीई 0.17 प्रतिशत एवं 0.20 प्रतिशत के मध्य था। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के साथ-साथ सांविधिक निगमों का आरओसीई 2019-20 से 2021-22 के दौरान क्रमशः 0.05 प्रतिशत से 0.56 प्रतिशत तथा 2.91 प्रतिशत से 4.04 प्रतिशत के मध्य सकारात्मक रहा। हालाँकि, सरकारी कम्पनियों का आरओसीई 2019-20 से 2021-22 के दौरान (-) 1.44 प्रतिशत एवं (-) 1.82 प्रतिशत के मध्य नकारात्मक रहा।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के अन्य सरकारी कम्पनियों का नकारात्मक आरओसीई विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 में और बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण ईबीआईटी में कमी एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की नियोजित पूँजी में वृद्धि है। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 में नकारात्मक आरओसीई में कमी आयी, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नियोजित पूँजी में 2020-21 में ₹ 8,073.06 करोड़ से 2021-22 में ₹ 11,709.19 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि है।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के अलावा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओसीई 0.56 प्रतिशत से घटकर 0.05 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड एवं मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ईबीआईटी में कमी तथा 2019-20 से 2020-21 के दौरान वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की नियोजित पूँजी में वृद्धि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सांविधिक निगम का आरओसीई 2.91 प्रतिशत से बढ़कर 4.04 प्रतिशत हो गया, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ईबीआईटी के 2019-20 में ₹ 29.25 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 105.06 करोड़ हो जाने के कारण हुआ।

पूँजी पर प्रतिफल

2.5.3 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[20] कम्पनी/निगम के वित्तीय निष्पादन की माप है इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे शेयरधारक के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं किसी भी कम्पनी/निगम के लिए जिसके शेयरधारकों का कोष सकारात्मक है, इसकी गणना की जा सकती है।

2019-20 से 2021-22 के अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू का आरओई **तालिका 2.12** में दिया गया है।

[20] पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी) X 100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तलिका 2.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

पीएसयू के प्रकार	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	-6,499.10	6,680.53	-15,399.66
	शेयरधारक का कोष	-50,030.12	6,603.68	(-)1,994.66
	आरओई (प्रतिशत में)	-	101.16	-

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के मामले में, शुद्ध आय एवं शेयरधारकों का कोष 2019-20 और 2021-22 में नकारात्मक तथा 2020-21 के दौरान सकारात्मक था। यह देखा गया कि 2020-21 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की सकारात्मक शुद्ध आय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान दिखाए गए ₹ 17,378.72 करोड़ के शुद्ध लाभ के कारण थी, जबकि 2019-20 में ₹ (-) 3,158.92 करोड़ का घाटा हुआ था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ मुख्य रूप से ₹ 17,380.02 करोड़ (सम्पत्ति की हानिः ₹ 17,111.68 करोड़ और अन्य प्रावधानः ₹ 268.34 करोड़) के प्रावधानों के प्रत्यावर्तन होने के कारण था। 2021-22 में, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की शुद्ध आय पुनः नकारात्मक (₹ -15399.66 करोड़) हो गयी।

अग्रेतर, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के शेयरधारकों का कोष 2020-21 में सकारात्मक हो गया, जिसका मुख्य कारण दिनांक 5 मार्च 2021 को जारी उ.प्र. सरकार के आदेश के आधार पर 2021-22 से शुरू होने वाली 10 वर्षों की अवधि में अतिरिक्त राजस्व सब्सिडी जारी करने हेतु पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹ 11,925.59 करोड़ एवं ₹ 2,159.69 करोड़ के जनरल रिजर्व का निर्माण करने के कारण था। तदनुसार, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के शेयरधारकों का कोष 2020-21 में सकारात्मक रूप से क्रमशः ₹ 6996.21 एवं ₹ 435.35 करोड़ हो गया, जो कि 2019-20 में क्रमशः ₹ (-) 2067.34 एवं ₹ (-) 8713.04 था।

चूँकि ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की शुद्ध आय और शेयरधारकों का कोष 2019-20 एवं 2021-22 में नकारात्मक था, इसलिए इन वर्षों के लिए आरओई पर कार्य नहीं किया जा सका। 2020-21 में सकारात्मक आरओई मुख्य रूप से उपरोक्त चर्चा के अनुसार ₹ 17,380.02 करोड़ के प्रावधानों के परिवर्तित होने के कारण यूपीपीसीएल द्वारा दिखाये गये ₹ 17,378.72 करोड़ के शुद्ध लाभ के कारण था। 2021-22 में नकारात्मक शेयरधारकों का कोष इंगित करता है कि इन पीएसयू की देनदारियाँ सम्पत्ति से अधिक हो गयी हैं

और शेयर पूँजी पर रिटर्न का भुगतान करने के बजाय, संचित घाटे ने सम्पूर्ण शेयर पूँजी को खत्म कर दिया है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) का आरओई **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	-274.55	-347.47	-349.73
	शेयरधारक का कोष	3,564.34	3,960.11	4,537.18
	आरओई (प्रतिशत में)	-7.70	-8.77	-7.71
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	17.00	-5.71	-5.71
	शेयरधारक का कोष	1,606.29	1,805.83	1,805.84
	आरओई (प्रतिशत में)	1.06	-0.32	-0.32
सांविधिक निगम	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	194.25	276.35	276.35
	शेयरधारक का कोष	6,678.79	6,840.25	6,840.25
	आरओई (प्रतिशत में)	2.91	4.04	4.04
	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	**-63.30**	**-76.83**	**-79.09**
	शेयरधारक का कोष	**11,849.42**	**12,606.19**	**13,183.27**
	आरओई (प्रतिशत में)	**-0.53**	**-0.61**	**-0.60**

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल आरओई एवं सरकारी कम्पनियों का आरओई ऋणात्मक था। हालाँकि, सांविधिक निगमों का आरओई सकारात्मक रहा एवं यह 2.91 प्रतिशत एवं 4.04 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओई सकारात्मक था तथा यह 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान ऋणात्मक था।

हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गयी हानि

2.6.1 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानियाँ **चार्ट 2.4** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.4: पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानियाँ

अध्याय में सम्मिलित कुल 37 पीएसयू में से, 2019-20 से 2020-21 के दौरान 20 पीएसयू ने हानि वहन की। 2021-22 में घाटे में चल रहे पीएसयू की संख्या बढ़कर 21 हो गयी है। इन पीएसयू को वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 7,346.69 करोड़, ₹ 11,153.80 करोड़ एवं ₹15,856.93 करोड़ की हानि हुई। 2021-22 के दौरान पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,305.27 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,957.52 करोड़) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,042.20 करोड़) हानि वहन करने वाले मुख्य पीएसयू थे **(परिशिष्ट-2.1)**।

निवल मूल्य का क्षरण

2.6.2 निवल मूल्य का तात्पर्य प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने से है। वास्तव में यह एक माप है कि संस्था स्वामियों के लिए कितनी मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

तालिका 2.14, 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 2.14: 2019-20 से 2021-22 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त तक संचित लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)-(4)
2019-20	1,25,973.16	-1,76,003.10	0.18	-50,030.12
2020-21	1,36,548.49	-1,44,029.92	0.18	6,603.68[21]
2021-22	1,45,387.51	-1,60,387.42	0.18	-1,994.66[22]

31 मार्च 2022[23] तक, ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू की कुल संचित हानि ₹ 1,60,387.42 करोड़ थी। इनमें से, नौ पीएसयू को उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 15,403.54 करोड़ की हानि हुई। अग्रेतर, दो पीएसयू ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 3.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाले दो पीएसयू में से, एक पीएसयू[24] का संचित लाभ ₹ 4.81 करोड़ जबकि दूसरे पीएसयू[25] की संचित हानि ₹ 419.30 करोड़ थी।

संचित हानि के कारण ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था। 31 मार्च 2022 को इन चार पीएसयू[26] में ₹ 1,36,898.47 करोड़ के पूँजी निवेश के विरूद्ध निवल मूल्य (-) ₹ 62,500.04 करोड़ था **(परिशिष्ट-2.1)**। शेष सात[27] में से दो[28] पीएसयू, जिनका निवल मूल्य मार्च 2022 के अन्त में सकारात्मक था, उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी के आधे से कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय रूग्णता को दर्शाता है।

तालिका 2.15, 2019-20 से 2021-22 के दौरान 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त

---

[21] निवल मूल्यः ₹ 1,36,548.49 करोड़ (प्रदत्त पूँजी) - ₹ 1,44,029.92 करोड़ (संचित हानि) - ₹ 0.18 करोड़ (आस्थगित राजस्व व्यय) + ₹ 11,925.60 करोड़ (मुक्त संचय पीवीवीएनएल) + ₹ 2,159.69 करोड़ (मुक्त संचय डीवीवीएनएल) = ₹ 6,603.68 करोड़।

[22] निवल मूल्यः ₹ 1,45,387.51 करोड़ (प्रदत्त पूँजी) - ₹ 1,60,387.42 करोड़ (संचित हानि) - ₹ 0.18 करोड़ (आस्थगित राजस्व व्यय) + ₹ 11,052.01 करोड़ (मुक्त संचय पीवीवीएनएल) + ₹ 1,953.42 करोड़ (मुक्त संचय डीवीवीएनएल) = ₹ 1,994.66 करोड़।

[23] 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

[24] जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[25] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

[26] दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड।

[27] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

[28] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

26 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) के प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 2.15: 2019-20 से 2021-22 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	4,006.94	-442.60	0.00	3,564.34
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	99.84	0.21	1,606.29
	सांविधिक निगम	963.62	5,715.17	0.00	6,678.79
	योग	**6,477.22**	**5,372.41**	**0.21**	**11,849.42**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	4,750.74	-790.63	0.00	3,960.11
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,656.91	149.32	0.40	1,805.83
	सांविधिक निगम	963.62	5,876.63	0.00	6,840.25
	योग	**7,371.27**	**5,235.32**	**0.40**	**12,606.19**
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	5,736.74	-1,199.56	0.00	4,537.18
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,656.91	149.33	0.40	1,805.84
	सांविधिक निगम	963.62	5,876.63	0.00	6,840.25
	योग	**8,357.27**	**4,826.40**	**0.40**	**13,183.27**

31 मार्च 2022 तक ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू में से, नौ पीएसयू की ₹ 2,694.86 करोड़ की संचित हानि थी। इन नौ पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, सात पीएसयू को ₹ 441.24 करोड़ की हानि हुई एवं दो पीएसयू ने ₹ 144.31 करोड़ का लाभ अर्जित किया, यद्यपि उनमें ₹ 907.55 करोड़ की संचित हानि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः[29] पीएसयू के निवल मूल्य का संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से क्षरण हो गया एवं 31 मार्च 2022 तक ₹ 143.50 करोड़ पूँजी निवेश के सापेक्ष उनका निवल मूल्य (-) ₹ 279.23 करोड़ था। हालाँकि, छः पीएसयू में से जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो गया था, एक[30] पीएसयू ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1.61 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इन छः पीएसयू में, 31 मार्च 2022 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 1,138.53 करोड़ था।

[29] दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

[30] नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

2.7 निष्कर्ष

- **31 मार्च 2022 तक, 37 पीएसयू जिनका वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,80,732.97 करोड़ था। निवेश में 58.51 प्रतिशत की पूँजी एवं 41.49 प्रतिशत का दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। उसमें से, इन पीएसयू में उ.प्र. सरकार ने ₹ 1,55,400.63 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें पूँजी ₹ 1,52,384.09 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 3,016.54 करोड़ है।**

- **वर्ष 2021-22 तक, अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 37 पीएसयू में से 16 पीएसयू ने ₹ 378.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 21 पीएसयू ने ₹ 15,856.93 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 142.70 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (₹ 105.16 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,305.27 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,957.52 करोड़) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,042.20 करोड़) हानि वहन वाले मुख्य पीएसयू थे।**

- **31 मार्च 2022 तक, 74 पीएसयू के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर था। आँकड़ों के बीच यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला भी उठाया गया था।**

- **2021-22 के दौरान 14 पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण देयताएं थीं, में से 11 पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक (एक से कम) था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।**

- **संचित हानि के कारण 10 पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया। इन पीएसयू में, ₹ 1,37,041.97 करोड़ के पूँजी निवेश के विरूद्ध इन पीएसयू का निवल मूल्य (-) ₹ 62,779.27 करोड़ था।**

2.8 संस्तुतियाँ

- ***उ.प्र. सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उ.प्र. सरकार के वित्त लेखे के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।***

- ***राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए एवं उनके निष्पादन में सुधार के लिए उपाय करना चाहिए।***